नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 प्रमाण पत्र

मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल के कार्यालय पत्र संख्या 1260 /पी0ए0/2023–24 /247 दिनांक 30.12.2023 के द्वारा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य डी0ए0वी0 फर्टीलाईजर पब्लिक स्कूल, इन्दिराधाम बबराला जिला सम्भल उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.12.2023 के द्वारा विद्यालय की मान्यता हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 का प्रमाण पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य Ar. Gaurav Agarwal, Gaurav Architects & Interior Designer, CA/2014/65460, 155, Munim Colony, Babrala, Distt. Sambhal की देखरेख में I.M. Kadri, Architect, 4A, Shivsagar estates, worli, bombay, 400018 के डिजाईन/ड्राईंग के आधार पर नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुसार किया गया है, तथा Ar. Gaurav Agarwal द्वारा इसका प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त स्कूल भवन का निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुरूप किया गया है, तथा भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

तत्क्रम में उक्त विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उक्त विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कार्य वर्ष 1997 से 1999 तक पूर्ण किया गया था, जिस कारण निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जांच/सत्यापन कर पाना सम्भव नहीं है। निरीक्षण के दौरान भू–तल पर स्थित समस्त कक्षों का निरीक्षण किया गया, सामान्य परिस्थितियों में प्रथमदृष्टया भवन सुरक्षित प्रतीत होता है।

इसी क्रम में विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का यथा ड्राईंग व अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त विद्यालय भवन निर्माण उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 व शासनादेश संख्या 575/68–3–2018–2041/2023 दिनांक 26.09.2023 के प्रस्तर 17(क) के अनुरूप विद्यालय सोसाइटी द्वारा भवन निर्माण के दौरान स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र अथवा अन्य से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप भवन निर्माण होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यदि भविष्य में प्रस्तुत भवन के मानचित्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा, तथा भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए प्रमाण पत्र जारीकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11.01.2019 व शासनादेश संख्या 575/68–3–2018–2041/2023 दिनांक 26.09.2023 में की गयी व्यवस्था के अनुरूप समय–समय पर विद्यालय प्रबन्धतन्त्र द्वारा अनुपालन किया जाये।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड–सम्भल।

कार्यालय–सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जनपद–सम्भल।

पत्रांक २५५ /ग्रा0अ0वि0/एन0बी0सी0–2005/2023–24 दिनांक २५.०२.२०२४

प्रतिलिपिः– मुख्य विकास अधिकारी महोदया की सेवा में उनके कार्यालय पत्र संख्या 1260 दिनांक 30.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड–सम्भल।